उत्तर प्रदेश शारान,
पर्यटन अनुभाग-1
संख्या 34/2025/212/41-1-2025-CN-1880816-2024
लखनऊः दिनांक 21 जनवरी, 2025
शुद्धि-पत्र

जनपद हरदोई की तहसील संडीला के ग्राम कीन्हेटी में स्थित पचपकरिया माता मंन्दिर स्थल का पर्यटन विकास कार्य के सम्बन्ध में पर्यटन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-1017/2024/3157/41-1-2024-001-CN 1880816-2024, दिनांक 27-12-2024 के प्रस्तर 2 एवं पृष्ठांकन के क्रमांक-5 पर अंकित उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स, कारपोरेशन लि०, लखनऊ के स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि०, लखनऊ एतद्द्वारा अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 27-12-2024 उक्त सीमा तक संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराजा
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, हरदोई।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम्, लखनऊ ।
6. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. निदेशक, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA), लखनऊ।
8. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी (राज्य योजना), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. उप निदेशक, पर्यटन, क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, लखनऊ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-71
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।